Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 11/2019 सी.आई.एस.क्र.– 11/2019

विपिन बिहारी यादव बनाम रत्नेश कुमार भारती एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
08.01.2026	वादी एवं प्रतिवादी सं0 6 एवं अन्य प्रतिवादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। यह वाद प्रतिवादी सं0 1 की ओर से प्रस्तुत आदेश – 7 नियम – 11 दिवानी प्रक्रिया संहिता के आवेदन दिनांक 01.02.2024 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि प्रतिवादी रत्नेश कुमार भारती के द्वारा पूर्व में स्वत्व वाद सं0 05/1990 रामस्वरूप यादव एवं अन्य सह हिस्सेदारों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जिसमें वर्ष 1984 के पंचनामा को सही मानते हुये स्वत्व वाद सं0 05/1990 दिनांक 24.08.1998 को सब जज–प्रथम, पूर्णियॉ के न्यायालय से खारिज हो गया परंतु वादी के द्वारा उसी वाद भूमि के संबंध में पुनः यह वाद लाया गया है जिस कारण से वाद पत्र आदेश – 7, नियम – 11डी दिवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत खारिज किये जाने योग्य है। वादी की ओर से अपने समर्थन में पी.एल.जे.आर. 2017(3) एस.सी. पेज 59 एवं पी.एल.जे.आर. 2016(4) एस.सी. पेज 103 न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। वादी की ओर से उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा पूर्व में स्वत्व वाद सं0 05/1990 प्रस्तुत किया गया था जो ससंघर्ष वर्ष 1984 के विभाजन के कारण खारिज हो गया। तत्पश्चात वादी के द्वारा यह वाद अपने स्वामित्व की घोषणा एवं कब्जे के हेतु लाया गया है जिस कारण से वादी का वाद Resjudiceta से बाधित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का उक्त आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। अन्य प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण से उन्हें प्रतिउत्तर से वंचित किया गया। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा यह वाद स्वामित्व की घोषणा, कब्जे की सम्पुष्टि एवं विक्रय पत्र को रद्द कराये जाने हेतु लाया गया है जिस पर प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा इस आधार पर आपत्ति किया गया है कि प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा पूर्व में विभाजन वाद लाया गया था जो खारिज हो गया था। पुनः वादी के द्वारा उसी वाद भूमि के संबंध में यह वाद लाया गया है जिस कारण से वादी का वाद पत्र आदेश – 7, नियम – 11 डी दिवानी प्रक्रिया संहिता में वर्णित विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादी के द्वारा यह स्वीकृत है कि प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा पूर्व में स्वत्व वाद सं0 05/1990 लाया गया था जो खारिज हो गया था। धारा 11 दिवानी प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्राड़्न्याय के सिद्धांत	

	से बाधित होने के लिये निम्न शर्तें आवश्यक है :– **1. पूर्ववर्ती वाद गुणदोष के आधार पर निषपादित हो।** **2. पूर्ववर्ती वाद के न्यायालय को निर्णय देने की क्षमता हो।** **3. पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वाद में विवाद विषय प्रत्यक्षतः एवं सारत : एक ही हो।** **4. दोनो वाद में पक्षकार एक ही हो या उन्हीं पक्षकारों के हक के अधीन दावा करते हों।** उभय पक्ष के आवेदन एवं प्रतिउत्तर से स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती स्वत्व वाद सं0 05/1990 विभाजन हेतु लाया गया था परंतु वादी के द्वारा यह वाद स्वामित्व की घोषणा, कब्जे की सम्पुष्टि एवं विक्रय पत्र को रद्द कराये जाने हेतु लाया गया है जिससे स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती वाद एवं इस वाद में विवाद विषय प्रत्यक्षतः और सारतः एक ही नहीं हैं। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त न्याय दृष्टांत के तथ्य इस वाद के तथ्य से भिन्न होने के कारण लागू किये जाने योग्य नहीं है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0 1 के इस आवेदन को **खारिज** किया जाता है। वाद आगामी दिनांक 02.02.2026 वास्ते अग्र कारवाई। हस्ताक्षर अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	